न मु 9/17

दायरा दिनांक 30.01.2017

1 श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी पूर्णाराम जाति ढ़ोली निवासीनी ग्राम नोसरीया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर

वादीया

बनाम

1 लिछमा पत्नी मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
2 पुरखाराम पुत्र हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
3 रतुराम पुत्र हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
4 समंदर पुत्र हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
5 जगुराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
6 औमप्रकाश पुत्र पिथाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
7 चेनाराम पुत्र पिथाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
8 राजूराम पुत्र पिथाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
9 छगनलाल पुत्र पिथाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
10 सीमा पुत्री पिथाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
11 सरोज पुत्री पिथाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
12 पांचाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
13 छोटूराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
14 चुनी देवी पत्नी चोखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
15 राजू पुत्री चोखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
16 मुनी पुत्री चोखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
17 बुधी पुत्री चोखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
18 चुनीदेवी पुत्री पनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
19 सुरजा देवी पत्नी किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
20 देवाराम पुत्र किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू
21 मुन्नीराम पुत्र किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

फ़ास कानरगर					
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

[illegible] पुत्र किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

[illegible] पुत्र किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

[illegible] पुत्री किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

25 चन्दा पुत्री किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

26 मनीराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

27 नेमीदेवी पत्नी कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

28 भोजाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

29 गीता पुत्री कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू

30 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

31 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत सयुंक्त खातेदारी भूमि का विभाजन

उपस्थित :– श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट — वादीया की और से
श्री आमीन शेख एडवोकेट — प्रतिवादी की और से
पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 28-08–2017

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 29 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नम्बर 1 तादादी 30 बीघा 9 बिश्वा, 1/200 रकबा 12 बीघा 5 बिश्वा, 63 रकबा 44 बीघा 02 बिश्वा, 83 रकबा 26 बीघा, 88 रकबा 25 बीघा, 190 रकबा 5 बीघा 9 बिश्वा, 194 रकबा 6 बीघा 5 बिश्वा कुल खसराजात 7 कुल रकबा 149 बीघा 10 बिश्वा वाके रोही **पालास** तहसील बीदासर में स्थित है। उपरोक्त खेत खसराजात में वादीया का 20 बीघा हिस्सा खातेदारा नेमादेवी धर्मपत्नी स्व. कुम्भाराम भोजाराम, गीतादेवी पुत्र पुत्री कुम्भाराम जाति मेघवंशी निवासी पालास से उनके 1/3 खातेदारी हिस्सा में से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैनामा दिनांक 16–2–2016 के खरीद शुदा है। वादीया का 20 बीघा हिस्सा खरीद के वक्त से खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 44–02 बीघा में से आथुणी पाखी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। खरीद के वक्त से उक्त 20 बीघा भूमि पर वादीया का पूर्ण कब्जा दखल है। खरीद के बाद वादीया द्वारा उक्त 20 बीघा हिस्सा भूमि के तारबन्दी करवाई गई। उक्त खसरा भूमि के साथ खरीदे गये ट्यूबवैल से वादीया द्वारा सिंचित फसल काश्त की जाती रही है एवं वादीया द्वारा विधुत कनेक्शन अपने नाम ट्रान्सफ़र करवाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग में की जा रही है।

वादीया एवं प्रतिवादीगण का खानपान लेन देन रहन सहन अलग अलग है। वादगत खेत खसराजात की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में सयुक्त होने के कारण वादीया को सरकारी लाभांश प्राप्त करने एवं राजस्व लगान आदि चुकाने में भारी परेशानीया होती है इसलिए वादगत कृषि भूमि हिस्सा का विभाजन

लगातार......3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

फीस कागजात बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			मुतफरिक मीजान		

[illegible] दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

...जाना कानूनी आवश्यक है। वादीया द्वारा वादगत खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने वास्ते कई बार प्रतिवादीगण को निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात की सीवों को काट देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगे। प्रतिवादीगण ने वादीया के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना रखा है। वादीया शान्तीप्रिय कानून में विश्वास रखने वाली औरतजात है। वादीया ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 18.01.2017 को वादगत खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाने एवं वादीया के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 द्वारा दिनांक 18.01.2017 को वादीया को ऐलानिया धमकी देने से वादाधार प्राप्त है। वादीया ने अनुतोष चाहा कि विवादित आराजीयात सयुक्त खातेदारी खेत खसरा का विधिवत विभाजन किया जाकर वादीया के हिस्सा पांती की भूमि की वादीया के नाम पृथक खातेदारी अंकित की जाकर अलग लगान कायम किया जाकर विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावें की वादगत खेत आराजीयात का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही जबरन बल पूर्वक कब्जा करके वादी को उनके हिस्सा पांती की भूमि से बेदखल ना करें।, ना ही वादीया के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी पैदा स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा प्रस्तत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 8 व 10 ता 29 की और से श्री मोहम्मद आमीन शेख एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 5, 12, 27 की तरफ से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 व 6, 8 व 10, 11 व 13 ता 26 व 28 व 29 के अधिवक्ता द्वारापत्रावली में जवाब नहीं देना जाहिर किया। प्रतिवादी सख्या 9 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं आने पर प्रतिवादी सख्या 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 30 की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राज हित निहित नही होना अंकित किया।

वादीया द्वारा अपने साक्ष्य में सशपथ तस्दीक शुदा बयान प्रस्तुत किये गये। वादीया द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 नक्शा विवादित खसराजात, प्रदर्श–2 जमाबन्दी, प्रदर्श–3 छाया प्रति ...य पत्र दिनांक 16–2–2016, प्रदर्श–4 छाया प्रति विधुत बिल, प्रदर्श–5 छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र ...या प्रस्तुत कर प्रदर्षित कराये।

बहस उभय पक्षकारान् विद्धान अधिवक्तागण की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सख्या 5, 7, 8, 20, 26, 27 के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्ष 1 ता 2 नकल जमाबन्दी ग्राम पालास सम्वत् 2071–2074 के ...र सभी पक्षकार बतौर खातेदार सथुक्त दर्ज रिकोर्ड है। वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है ...दी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 का खान पान लेन देन रहन सहन आदि अलग अलग है वा ...ा को सरकारी लाभांश व राजस्व लगान चुकान में भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है जिसे ...मानने का कोई आधार नहीं है अतः वादी के पाद पत्र. की पुष्टि होती है। वादीया वादगत खेत ...जात में अपना 20 बीघा हिस्सा की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 44 बीघा 2 बिश्वा में से ...ी पाखी की अपने नाम राजस्व रेकार्ड में पृथक खातेदारी अंकित की जाकर लगान का विभाजन ...े की अधिकारीणी है। अतः वाद वादीया डिक्री योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार....4 पर

कानस्नर

इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
मीजान			मीजान		

[illegible] रकबा 26 बीघा, 88 रकबा 25 बीघा, 190 रकबा 5 बीघा 9 बिश्वा, 194 रकबा 6 बीघा 5 बिश्वा कुल खसराजात 7 कुल रकबा 149 बीघा 10 बिश्वा वाके रोही **पालास** के खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 44 बीघा 02 बिश्वा में से पश्चिमी पाखी की 20 बीघा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व राजस्व रेकार्ड के नक्शा में तरमीम किया जावे। वादीया का वाद प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। प्रारम्भिक डिक्री की पालना व विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक ~~21~~ 28–8–2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

संजू पारीक
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरू

फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।